



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष : 0141-5182265, 5192261 E-mail: modelschoolrcse@gmail.com



उपनाम : रामाशिप / जय / मॉडल स्कूल / प्रवेश प्रक्रिया-170 / 5054

दिनांक 9/6/2018

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, संबंधित जिले।
2. अति. जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रामाशिप, संबंधित जिले।

विषय:- सत्र 2018-19 के लिए स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की कक्षा 11 में प्रवेश के संबंध में।

संदर्भ :- राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग का पत्र क्रमांक: प.4 (5) शिक्षा-1/2015 दिनांक: 30.03.2017

संदर्भ :- परिषद का पत्रांक रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/ प्रवेश प्रक्रिया-170 /3790 दिनांक 01.06.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 18 जून, 2018 तक प्रदेश हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूची जारी करने के पश्चात् कक्षा 11 में शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्ति के लिए मॉडल स्कूलों के द्वारा बार-बार प्रयासों के बावजूद भी स्थान रिक्त रहता है तो रिक्त सीटों के लिए पुनः आवेदन मांगे जावें।

रिक्त सीटों हेतु पुनः आवेदन एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्राप्तांकों में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	सीबीएसई से संबद्ध स्कूल/मॉडल स्कूल/ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध स्कूल	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित संकाय / जीव विज्ञान संकाय के लिए समेकित प्राप्तांक	समेकित संशोधित न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत में)	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित / जीव विज्ञान संकाय के लिए संबंधित विषय के प्राप्तांक	संबंधित संकाय (गणित/जीव विज्ञान) संशोधित न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत में)
1	मॉडल स्कूल हेतु	7.0 सीजीपीए	50%	61 से 70% (B2 ग्रेड)	55%
2	मा. शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	68.50 प्रतिशत	50%	65%	55%
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड	7.8 सीजीपीए / 72.2 प्रतिशत	55%	71 से 80% (B1 ग्रेड)	60%

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि मॉडल स्कूलों के वे विद्यार्थी जो कि उक्तानुसार छूट प्राप्त होने पर केवल रिक्त सीटों के विरुद्ध आवेदन करते हैं तो उपर्युक्तानुसार शिथिलन पश्चात् पात्र होने पर प्रवेश में उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी। तत्पश्चात् अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जा सकेंगे। प्रवेश कैलेंडर के लिए जिला स्तरीय समिति को अधिकृत किया जाता है। कक्षा 11 में मॉडल स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2018 निर्धारित की जाती है। मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु उसी ब्लॉक में निवास करने वाले छात्र/छात्रा को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे। सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य ब्लॉक के छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जा सकेगा।

अतः तदनुसार पालना सुनिश्चित करावे।



(सुरेश चन्द्र)

अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक रामाशिप जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक रामाशिप जयपुर।
3. संस्थाप्रधान, मॉडल स्कूल, संबंधित ब्लॉक, उक्तानुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही कर कक्षा 11 में शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त करें।
4. कार्यक्रम अधिकारी, रामाशिप, संबंधित जिले।
5. रक्षित पत्रावली।



अति. राज्य परियोजना निदेशक